

# प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु पत्र

श्रीमान्

मुख्य प्रतिलिपिकार,

प्रतिलिपी विभाग

(जिला / तहसील)।

निम्नलिखित विवरण के प्रलेखों की प्रमाणित प्रति प्रदान करने का कष्ट करें :-

प्रकरण क्रमांक		प्रकरण का प्रकार	सिविल / क्रिमिनल
न्यायाधीश का नाम			
न्यायालय का पदनाम			
अग्रिम प्रेशी दिनांक (लंबित प्रकरण)		अंतिम आदेश / निर्णय दिनांक	
पक्षकारों का नाम	विरुद्ध		
वांछित प्रलेखों का विवरण जिसकी प्रमाणित प्रति चाही गई है ( तिथी सहित)	1. 2. 3. 4.		
वांछित प्रलेखों के कुल पृष्ठों की संख्या		प्रस्तावित शुल्क (पृष्ठ संख्या X 2 Rs.)	
अर्जेंट / साधारण	प्रयोजन -		
क्या आवेदन संबंधित प्रकरण में पक्षकार या पक्षकार का अधिकृत प्रतिनिधि है ? हां / नहीं यदि हां तो पक्षकार का नाम -			
यदि पक्षकार नहीं है तो क्या संबंधित पिठासीन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जी है ? हां / नहीं			
आवेदक का नाम			
यदि आवेदक वादी / प्रातिवादी का अधिवक्ता है तो, अपना रजिस्ट्रेशन नं. लिखे -			
आवेदन का पूर्ण पता			
मोबाईल नंबर / फोन	ई-मेल एवं फेक्स		

उपरोक्त समस्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं पूर्ण है। उक्त जानकारी असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने की दशा में प्रतिलिपी उपलब्ध कराए जाने में विलंब का दायित्व मुझ पर होगा।

स्थान \_\_\_\_\_

अधिवक्ता वास्ते : वादी / आवेदक

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिवादी / अनावेदक

न्यायालय / प्रभारी अधिकारी का आदेश -

अभिलेख देखा। प्रस्तावित सत्यप्रतिलिपी कुल पृष्ठ \_\_\_\_\_ की अनुमति दी जाती है।